उत्तर प्रदेश सरकार

गृह(पुलिस) अनुभाग–10

संख्याः 1256/6–पु0–10–2008–27(7)/08
लखनऊः दिनांकः 02, दिसम्बर 2008

संशोधनोपरान्त

संख्याः 200/6–पु0–10–2009–27(7)/08
लखनऊः दिनांकः 02, अप्रैल 2009

विषयः– आरक्षी/आरक्षी पी0ए0सी0/उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर व अन्य इकाईयों के अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती तथा मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक स0पु0 तथा निरीक्षक के पदों पर व अन्य ईकाईयों के अराजपत्रित पदों के विभागीय प्रोन्नति हेतु पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश दिनांक 02.12.2008 में संशोधन।

उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी/आरक्षी पी0ए0सी0, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती एवं मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस तथा निरीक्षक के पदों पर चयन एवं विभागीय प्रोन्नति के विगत अनुभवों एवं न्यायालीय संवीक्षणों को देखते हुए यह कार्यकारी आदेश पुलिस एक्ट की धारा–2 सपठित धारा 46(2) तथा युनाइटेड प्रोविन्सेज प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी एक्ट 1948 (यू0पी0 एक्ट न0–40 आफ 1948) धारा–15 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त कार्यकारी आदेश एवं शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों पर चयन हेतु एतद्द्वारा निम्नवत पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का स्वरूप

आरक्षी ना0पु0/आरक्षी पी0ए0सी0/उप निरीक्षक, ना0पु0/ उप निरीक्षक, स0पु0/ प्लाटून कमाण्ड पी0ए0सी0 की सीधी भर्ती तथा मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षक के पदो पर विभागीय प्रोन्नति का संपूर्ण कार्य पूर्ण कालिक रूप से निष्पादित करने हेतु पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन निम्नवत किया जायेगाः–

(I) **अध्यक्ष की तैनाती एवं कार्यकाल** :–

पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति सिविल सेवा बोर्ड की संस्तुति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष पद पर महानिदेशक/ अपर पुलिस

महानिदेशक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति न्यूनतम 03 वर्ष के लिए अधिकतक 05 वर्ष के लिए की जायेगी। उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा 03 से 05 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो के लिए होगी। पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का पूर्ण कालिक अध्यक्ष, कार्यरत पुलिस महानिदेशक/ अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी होंगे। कोई अधिकारी जो पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि में अतिरिक्त रूप से अन्य कोई पद धारित नहीं करेगा तथा अधिकारी के रूप में कार्यालय की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यह निसंवर्गीय पद होगा जो प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा। बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आने के पश्चात अन्य किसी स्थान पर स्थान्तरण नहीं होगा।

(II) **सदस्य/ सचिव एवं अपर सचिव–**

सचिव, पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पद पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के ऐसे अधिकारी की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी, और उसकी पर्याप्त सेवा अन्यून तीन वर्ष बाकी हो। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी तथा दो अपर सचिव के रूप में कार्यरत पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अतिरिक्तं एक और पूर्णकालिक सदस्य किसी अन्य सेवा से राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। जिसमें से एक अपर सचिव भर्ती का कार्य एवं एक अपर सचिव प्रोन्नति के कार्यों का संचालन करेंगे। इसी प्रकार सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी। अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त एक और पूर्ण कालिक सदस्य किसी अन्य सेवा से राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है।

(III) **अंशकालिक सदस्य–**

अंशकालिक सदस्य का आवश्यकतानुसार एक पैनल बनाया जायेगा जिसमें मनोचिकित्सक विशेषज्ञ, प्रबन्धक विशेषज्ञ, क्रिमिनोलाजी विशेषज्ञ एवं अन्य विषय विशेषज्ञ का सहयोग आवश्यकतानुसार बोर्ड द्वारा लिया जायेगा। इनकी सेवा शर्ते एवं वेतन भत्तों के संबंध में बोर्ड द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा। बोर्ड को यह अधिकार होगा कि किसी विशेष विषय विशेषज्ञ की सहायता/ परामर्श प्राप्त कर सकते है।

(IV) **पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य का हटाया जाना–**

पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य के विरूद्ध पद के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त होने तथा शिकायतों को तथ्यात्मक पाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष/ सदस्य एवं सचिव/ अपर सचिव को समय से पूर्व पद के दायित्व से मुक्त किया जा सकेगा।

(V) **पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा–**

1– पुलिस सेवा एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन निम्नवत होगाः–

अध्यक्ष–01, सदस्य– 01, सचिव– 01 एवं अपर सचिव– 02, संयुक्त सचिव, वित्त (लेखा संवर्ग)– 01, उप सचिव– 02 (अन्य सेवा से डेपूटेशन पर) सिस्टम एनालिसिस्ट–01, (एन0आई0सी0 से प्रतिनियुक्ति पर) तथा सीधी भर्ती कार्य हेतु 02 अनुभाग (01 अनुभाग आरक्षी की सीधी भर्ती एवं 01 अनुभाग उप निरीक्षक की सीधी भर्ती हेतु), पदोन्नति हेतु 02, अनुभाग (01 अनुभाग आरक्षी की पदोन्नति तथा 01 अनुभाग उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक की पदोन्नति हेतु) लेखा एवं अधिष्ठान का 01 अनुभाग तथा 01 अनुभाग गोपन का होगा। उक्त सभी के लिए निःसंवर्गीय पद सृजित किया जायेगा तथा इनका कार्यकाल प्रतिनियुक्ति द्वारा 03 से 05 वर्ष का होगा।

2– पुलिस सेवा एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुभागों के कर्मियों का विवरण निम्नवत् होगाः–

प्रत्येक अनुभाग में (लेखा एवं अधिष्ठान अनुभाग को छोडकर) एस0आई0(एम)–01, ए0एस0आई0 (एम) 02, कम्प्यूटर आपरेटर–01 एवं अनुसेवक/ चपरासी–01 न्यून्तम आवश्यकता के अनुसार तैनात किये जायेंगे। लेखा एवं अधिष्ठान अनुभाग में एस0आई0(एम)–01, लेखाकार–02, कम्प्यूटर आपरेटर–01, एवं अनुसेवक–01 पद सृजित किया जायेगा। उक्त सभी पदों को पुलिस विभाग के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। उक्त सभी पद निसंवर्गीय सृजित होंगे तथा इनका कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

2. <u>पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दायित्व–</u>

(I) <u>रिक्तियों का अधियाचनः–</u>

रिक्तियों का आंकलन उ0प्र0 में केन्द्रीयकृत रूप से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा और रिक्तियों का अधियाचन पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा जायेगा। पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का यह दायित्व होगा कि वह सीधी भर्ती (आरक्षी ना0पु0, आरक्षी पी0ए0सी0, उपनिरीक्षक ना0पु0 एवं प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के पदों पर)/पदोन्नति (मुख्य आरक्षी से लेकर निरीक्षक के पदों पर) के संबंध में वर्षवार आंकलन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से प्राप्त अधियाचन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगा।

(II) <u>भर्ती का कलैण्डर–</u>

नियुक्तियां प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जाना आवश्यक है। आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की शुद्ध गणना करते समय आरक्षी ना0पु0/पी0ए0सी0 के पद पर चयन वर्ष में 01 जनवरी/01 जुलाई को विद्यमान रिक्तियां मुख्य आरक्षी ना0पु0/पी0ए0सी0 के पद पर विद्यमान रिक्तियों तथा उपनिरीक्षक, ना0पु0, उपनिरीक्षक स0पु0 एवं प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के पद पर सीधी भर्ती में विद्यमान रिक्तियों में जोडे जाने का प्राविधान होगा। जिला पुलिस व पी0ए0सी0 के लिए आरक्षी पद पर सीधी भर्ती वर्ष में दो बार हुआ करेगी। प्रत्येक वर्ष में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रथम भर्ती के

चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण पर चले जाये और जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हो तो दूसरी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार रहे अर्थात दोनों बैंचेज के प्रशिक्षण अवधि में बहुत कम अन्तराल रहे। इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया के नियमित रूप से वर्षानुवर्ष संपन्न होती रहेगी। बोर्ड का यह भी दायित्व होगा कि निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करें एवं नियमित नियुक्तियां हों। इसी प्रकार नियमित रूप से वर्षानुवर्ष प्रोन्नतियों से उत्पन्न रिक्तियों को भी भरा जाये।

(III) सधी भर्ती

(क) **आरक्षी ना0पु0ी /आरक्षी पी0ए0सी0 की सीधी भर्ती**

आरक्षी के शत–प्रतिशत पद सीधे भर्ती से भरे जायेगें। यह भर्ती सेवा नियमावली में की गई व्यवस्थानुसार सम्पन्न कराई जायेगी।

(ख) **उप निरीक्षक ना0पु0/ प्लाटून कमाण्डर, पी0ए0सी0 सीधी भर्ती**

उप निरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर, पी0ए0सी0 के पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत आरक्षी/ मुख्य आरक्षी की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जायेगे। यह भर्ती सेवा नियमावली में की गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न कराई जायेगी।

(ग) **पुलिस विभाग के अन्य अरापत्रित पदों पर सीधी भर्ती–**

पुलिस विभाग की विभिन्न ईकाइयों के (उ0प्र0 पुलिस रेडियो नियमावली–1979 एवं उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 की व्यवस्था को छोडकर) अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के जो मामले संदर्भित किये जायें उनके संबंध में संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराई जायेगी।

(I V) प्रोन्नति

(क) **मुख्य आरक्षी ना0पु0/मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 के पद पर प्रोन्नति**

मुख्य आरक्षी, ना0पु0 के पदों पर पदोन्नति उ0प्र0 नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 तथा मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर पदोन्नति उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 में की गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न/पूर्ण कराई जायेगी।

(ख) **उप निरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर, पी0ए0सी0 के पदों पर पदोन्नति**

उप निरीक्षक ना0पु0/ प्लाटून कमाण्डर, पी0 ए0 सी0 की सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत रिक्तियों के पश्चात शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से आरक्षी/मुख्य आरक्षी की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जायेगी। यह पदोन्नति सेवा नियमावली में की गई व्यवस्थानुसार सम्पन्न/पूर्ण कराई जायेगी।

(ग) **निरीक्षक/दलनायक (कम्पनी कमाण्डर) (रिजर्व इंन्सपेक्टर) के पद पर पदोन्नति**

उ0प्र0 पुलिस निरीक्षक/ दलनायक (कम्पनी कमाण्डर) (रिजर्व इंन्सपेक्टर) के शत–प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जायेंगे। यह पदोन्नति सेवा नियमावली में की गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न कराई जायेगी।

(घ) पुलिस विभाग के अन्य समूह ''ख'' (अराजपत्रित) पदों पर पदोन्नति के जो मामले विभिन्न ईकाइयों द्वारा संदर्भित किये जाये उनके संबंध में संगत सेवा नियमावली में की गयी व्यवस्थानुसार पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(V) **विभिन्न दायित्व**

पुलिस महानिदेशक कार्यालय से रिक्तियों का अधियाचन प्राप्त होने पर भर्ती संबंधी विज्ञापन, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र तैयार कराना, डिस्पैच कराना, काल लेटर डिस्पैच कराना, जनपदों में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के सहयोग से फिजिकल स्टैण्डर्ड टेस्ट, फिजिकल इफीसियेन्सी टेस्ट, मेडिकल परीक्षा कराना, लिखित परीक्षा– ओ0एम0आर0 प्रश्न शीट की छपाई, डिस्पैच प्रश्न पत्रों की तैयारी कराना, छपवाना, प्रश्नपत्रों को वापस मुख्यालय मंगवाना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना आदि, इस प्रकार काल लेटर से लेकर परिणाम घोषित करने तक की समस्त कार्यवाही बोर्ड का दायित्व होगा।

(VI) **परीक्षा केन्द्रों का चिन्हीकरण**

(क) लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के अनुपात में परीक्षा केन्द्रों के रूप में तहसील/मुख्यालय स्तर पर स्थित राजकीय हाई स्कूल/इन्टर कालेज/ डिग्री कालेज/विश्वविद्यालयों के कक्ष/उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्रों को पूर्व से ही चिन्हित करके पूरी सूची भर्ती प्रकिया प्रारम्भ होने के 3 माह पूर्व ही तैयार की जायेगी।

(ख) बोर्ड, प्रत्येक चिन्हित केन्द्र में चिन्हित कक्षों तथा प्रत्येक कक्ष में उपलब्ध सीटों का चिन्हीकरण करेगा। कक्ष में सीटों का आवंटन, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कक्षों की नम्बरिंग की जायेगी तथा यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि एक कक्ष में कितनी पंक्तियां है तथा कितनी सीटें हैं। कक्ष में किसी भी दशा में निर्धारित सीट के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को नहीं बैठाया जायेगा। कक्ष पक्के इमारत वाले होने चाहिए, जिसमें पर्याप्त प्रकाश एवं वेन्टिलेशन की व्यवस्था हो। परीक्षा केन्द्रों का चयन एस0पी0/एस0एस0पी0 के द्वारा जिलाधिकारी के सहयोग से किया जायेगा। सम्पूर्ण सूचना विज्ञापन के 3 माह पूर्व ही जिलों से पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्राप्त हो जानी चाहिए।

(ग) जब एक बार केन्द्रों का चिन्हीकरण हो जायेगा तो वर्षानुवर्ष यथा संभव उन्हीं केन्द्रों का उपयोग किया जाये। किन्हीं कारणवश केन्द्र अनुपयोगी पाया जाता है तो उसे गैर अधिसूचित कर दिया जायेगा।

(VII) **स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रों का चिन्हींकरण–**

इसी प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी केन्द्रो को 03 माह पूर्व जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक के द्वारा तहसील मुख्यालय के सी0एच0सी0 एवं जिला अस्पताल आदि का चयन कर लिया जाए एवं इस की सूचना बोर्ड को भेज दी जायें।

(VIII) **वाहय एजेन्सी के चयन एवं दायित्व–**

बोर्ड, केन्द्रीयत स्तर पर आवेदन पत्र एवं काल लेटर के मुद्रण, स्कैनिंग, लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करने व लिखित परीक्षा के संचालन, कम्प्यूटराइज्ड

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंक आवंटन, परीक्षाफल निर्धारण एवं उपरोक्त कार्यों के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर को विकसित करने हेतु उच्चकोटि की अधिकृत वाह्य एजेन्सी जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग (कम से कम दो या तीन राज्यों में) इंजीनियरिंग/ मेडिकल की संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं अथवा संघ लोक सेवा आयोग आदि के लिए संतोषजनक कार्य किया हो एवं जिनके पास पर्याप्त अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हों, का सहयोग लेंगे। वाहय एजेन्सी द्वारा गलत एवं अनियमित प्रक्रिया अपनाने पर संबंधित दोषी वाहय एजेन्सी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

(क) उपनिरीक्षक, ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर, पी0ए0सी0 की सीधी भर्ती के लिए प्रारम्भिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा वाह्य एजेन्सी से कराये जाने का प्राविधान किया गया है। इसी की भॉति आरक्षी ना0पु0/ आरक्षी पी0ए0सी0 की सीधी भर्ती में भी वाह्य ऐन्सी को आऊटर्सोसिंग कराना प्रविधानित है।

(ख) वाह्य एजेन्सी से मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0)

बोर्ड वाहय एजेन्सी के साथ एक मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करेंगे। एम0ओ0यू0 में दिये गये विस्तृत शर्तों का निर्धारण शासन द्वारा किया जायेगा। एम0ओ0यू0 में चेक एण्ड बैलेन्स सिस्टम की संपूर्ण व्यवस्था की जायेगी। एम0ओ0यू0 के आलेख/शर्तों का विस्तृत परीक्षणोंपरान्त विधीक्षण न्याय/ वित्त विभाग के द्वारा किये जाने के बाद ही वाह्य एजेन्सी/ पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। एम0ओ0यू0 की शर्तें पहले ही निर्धारत कर ली जायेगी। बोर्ड के द्वारा यह परम गोपनीय रखा जायेगा कि वे किस वाह्य एजेन्सी को विभिन्न कार्यकलापों के लिए ''आउटसोर्स'' कर रहे हैं। गोपनीयता के दृष्टिगत वाह्य एजेन्सी के निर्धारण के संबध में खुली निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही से यह बोर्ड मुक्त रहेगा।

(IX) **<u>आवेदन पत्रों की व्यवस्था</u>–**

(क) **छपाई–**

आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 शीट, उत्तर पत्रक, एक विस्तृत दिशा–निर्देश, काल लेटर एवं अन्य आवश्यक अभिलेख की छपायी का कार्य आउटसोर्स किये हुए वाहय एजेन्सी के द्वारा सिक्योरिटी कोडिंग/क्रमांक सहित कराया जायेगा। रिक्तियों के सापेक्ष विगत वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्रों की औसत संख्या को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक पर्याप्त मात्रा में फार्म आदि छपवाये जा सकते है।

(ख) **<u>बिक्री</u>–**

आवेदन पत्रों की बिक्री अभ्यर्थी के नाम से ही की जायेगी, जिसे खरीदने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। आवेदन पत्र जनपद स्तर पर स्थित मुख्य डाकघर अथवा किसी राष्ट्रीकृत बैंक जैसा कि रिक्ति के विज्ञापन में निर्दिष्ट होगा, के माध्यम से बेचे जा सकते हैं और इसी क्रम में वापस जमा कराये जा सकते है।

(1) जनपद के मुख्य डाकघर/ बैंक, तहसील/ जिला मुख्यालय के डाक घर/ बैंक को जी0पी0ओ0/ बैंक के माध्यम से चिन्हित किया जा सकता है।

चिन्हित किये गये डाक घरों/ बैंकों का '' नोटिफिकेशन'' कर दिया जाये। इसकी सूचना बोर्ड को दी जायेगी।

(2) विज्ञापन के माध्यम से इस बात का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा कि किस–किस पोस्ट आफिस/ बैंक से आवेदन पत्र विक्रय हेतु उपलब्ध हैं तथा उन्हें कहॉ–कहॉ जमा किया जायेगा।

(3) जिस पोस्ट आफिस/ बैंक से आवेदन पत्रों की बिक्री की जाये उन्हीं पोस्ट आफिस/ बैंक के माध्यम से जमा भी जराया जाय।

(4) प्रत्येक चिन्हित पोस्ट आफिस/ बैंकों का पतेवार (addresswise) एक कोड होगा, जिसे जी0पी0ओ0/ बैंक लखनऊ से चिन्हित पोस्ट आफिस/ बैंक को भेजा जाएगा।

(5) प्रत्येक पोस्ट आफिस/ बैंक को बिक्री हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र जिस पर एक कोड होगा कि कुल संख्या (आवेदन पत्र पर अंकित क्रमांक सहित) रिकार्ड की जायेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किस पोस्ट आफिस/ बैंक को किस नम्बर से किस नम्बर तक के आवेदन पत्र बिक्री हेतु दिये गये हैं। इसका विवेरण भी बोर्ड के पास रहेगा।

(6) आवेदन पत्र के लिए अभ्यर्थी से रू0– 50/– चार्ज किया जायेगा, जिस की राशि भविष्य में बढ़–घट सकती है। इसकी रसीद भी दी जायेगी।

(7) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बीत जाने पर प्रत्येक पोस्ट आफिस/ बैंक पूरा विवरण तैयार करेगा कि उन्होंने कितने किस–किस कोड नम्बर के आवेदन पत्रों की बिक्री की है और कुल कितने आवेदन पत्र किस–किस कोड नम्बर के बचे हुए है।

(8) समस्त जिला डाक घर/ बैंक के पूर्ण विवरण तथा प्राप्त धनराशि का लेखा–जोखा जी0पी0ओ0 लखनऊ/ बैंक को भेजेगें। जी0पी0ओ0 लखनऊ/ बैंक द्वारा आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि की निर्धारित अनुपात में धनराशि डाक घर/ बैंकों के सेवाकर के रूप में अपने पास रखेंगे तथा शेष धनराशि बोर्ड द्वारा नियमानुसार राजकोष में जमा करायेगी।

(9) पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पोस्ट मास्टर जनरल/ बैंक के बीच उपर्युक्त कार्य हेतु एक एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा ताकि समस्त कार्य निर्धारित तिथि तक सम्पन्न हो जाये एवं दोनों इकाई के मध्य राजस्व प्राप्तियों के बंटवारे का आधार (revenue sharing basis) स्पष्ट हो जाये।

(10) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद बचे हुए आवेदन पत्र (कोड नम्बर सहित) आयोग द्वारा सुरक्षित रख दिये जायेंगे।

(11) परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पोस्ट आफिस/बैंक के माध्यम के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से भी भेजा जा सकता है।

(X) <u>बोर्ड का वेबसाइट</u>

बोर्ड का अपना एक वेबसाइट होगा जिसे जनपदवार रिक्तियों आदि के संबंध में पूर्ण विवरण समय–समय पर अपलोड/ अद्यावधिक किया जायेगा। इस

वेबसाइट में बोर्ड एवं भर्ती के संबंध में सभी सूचनाएं अपलोड की जायेगी तथा जनसामान्य के सूचनार्थ उपलब्ध रहेगी।

(XI) **हेल्पलाइन सेन्टर**

बोर्ड द्वारा एक हेल्पलाइन सेन्टर (दूरभाष/ मोबाइल संख्या सहित) खोला जायेगा। उसका एक वेबसाइट भी होगा जिसके माध्यम से अभ्यर्थीगण भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं का निदान कर सकेंगे। हेल्पलाइन को बोर्ड के सचिव द्वारा स्वयं ''मानीटर'' किया जायेगा।

(XII) **प्रचार प्रसार**

चूंकि भर्ती प्रक्रिया में ओ0एम0आर0 प्रारूप नये प्राविधान के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसलिए इसका व्यापक प्रचार–प्रसार रेडियों/विभिन्न समाचार पत्रों/दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों आदि के माध्यम से कराया जायेगा ताकि इसे भरने में सुविधा हो सके।

3. पदोन्नति संबंधी दायित्व

(क) प्रत्येक संवर्ग की विभागीय प्रोन्नति के पदों का आरक्षित/ अनारक्षित श्रेणीवार प्रत्येक चयन वर्ष की रिक्तियों आदि का भी आंकलन कर बोर्ड को प्रेषित किया जायेगा। तदनन्तर प्रोन्नतियों के लिए उपलब्ध पदों पर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जायेगी। बोर्ड यथावश्यकता इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को सहयुक्त कर सकते है।

(ख) बोर्ड का यह दायित्व होगा कि वह पुलिस विभाग के अन्तर्गत आरक्षी ना0पु0/आरक्षी पी0ए0सी0 तथा उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0, आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी एम0टी0, उपनिरीक्षक एम0टी0, आरमोरर, माउण्टेंड पुलिस, डिस्पैच राइडर, लिपिक संवर्ग, फायर सर्विस की आरक्षित/अनारक्षित श्रेणीवार रिक्तियों आदि का संज्ञान लेते हुए भर्ती संबंधी अधियाचन के आधार पर भर्ती/पदोन्नति करने की कार्यवाही की जायेगी।

4. अंतिम मेरिट सूची

पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा सफल/असफल अभ्यर्थियों का परिणाम अपने वेबसाइट में प्रकाशित किया जायेगा तथा सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची तुरन्त भर्ती बोर्ड के अपने वेबसाइट/ नोटिस बोर्ड तथा समाचार पत्रों में प्राप्तांकों के साथ प्रकाशित की जायेगी।

वाह्य एजेन्सी द्वारा रिक्तियों के आधार पर श्रेणीवार मेरिट सूची निकालने के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर बनाया जायेगा। इसी के अनुरूप श्रेणीवार मेरिट सूची निकाली जायेगी। लिखित परीक्षा का संचालन करने वाली बाह्य एजेन्सी अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों की हस्ताक्षर युक्त सूची सील बन्द उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बोर्ड के अध्यक्ष को हस्तगत करायेंगे।

5 बोर्ड की संस्तुति

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष बोर्ड द्वारा चयनित/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तगत की जायेगी।

6. उपरोक्त पदों के लिए चयन हेतु अन्य प्राविधान निम्नानुसार होंगे :–

(क) किसी पुरूष अभ्यर्थी की एक समय में दो जीवित पत्नियां नहीं होगी और कोई महिला अभ्यर्थी किसी ऐसे पुरूष अभ्यर्थी की पत्नी नहीं होगी जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो। अभ्यर्थियों से कार्य भार ग्रहण करने के पूर्व एक घोषणा पत्र भराया जाए जिसमें इस बिन्दु के अतिरिक्त उसकी वर्तमान सम्पत्ति, उसके दिवालिया न होने, कभी कोर्ट द्वारा दण्डित न होने आदि शर्तों का उल्लेख हो।

(ख) विभागीय चयन वाले पदों पर विभागीय एवम् सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश शासन के ज्येष्ठता निर्धारण हेतु प्रचलित नियमानुसार तैयार की जायेगी।

(ग) शासन किसी पद को रिक्त अथवा आस्थगित रख सकते है।

कुवॅर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव

संख्याः— 1256 / 6—पु0—10—2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4. गृह विभाग के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।

आज्ञा से

(आर0पी0 मिश्र)
विशेष सचिव